विधान सभा कार्य
परम अग्रता

क्रमांक 1/1/2017–1पोल
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग।

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार।
2. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
3. सभी बोर्डों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 05.02.2024

विषयः– हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान (छुट्टियो के समय) विभागो के कर्मचारियों को हरियाणा सचिवालय में प्रवेश करने बारे ।

महोदय /महोदया,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, प्रशासकीय अधिकारी रिसैप्शन द्वारा जारी पत्र क्रमांक 81/01/2016 दिनांक 8.9.2017 (जिसकी प्रति website : csharyana.gov.in पर Ad.O1 में उपलब्ध है) की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन दिनांक 20 फरवरी, 2024 को प्रातः 11 बजे हरियाणा विधान सभा के हाल में बुलाया गया है । अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग के कर्मचारी जो कि अधिवेशन से सम्बन्धित दस्तावेज/प्रशनों के उत्तर इत्यादि लेकर हरियाणा सिविल सचिवालय (राजनैतिक शाखा में) छुट्टियो के दौरान आयेगें, आप उनके हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रवेश करने के लिए पास अपने विभाग/अपने स्तर पर बनवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,
अशोक
उप.अधीक्षक संसदीय कार्य